



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/राज०/06/19/2017/एफ.सी./307

दिनांक : 15.09.2017

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया,
जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/21182/2016

विषय : Diversion of 57.778 ha. of forest land in favour of Public Works Department, Jaipur for development of Nagaur- Rarnau Road, Section of SH-19 from Km. 0.00 to Km. 39.688 in the State of Rajasthan

सन्दर्भ: शासन सचिव, राजस्थान शासन का पत्रांक— 1(48)वन/2017, दिनांक— 01.09.2017

महोदया,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रेषित करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

- 1- The Geo- referenced map & toposheet of CA patch (Kantoli) have not been uploaded.
- 2- As per GIS DSS Analysis, the area of proposed CA land is less than the (113 ha. rather 115.556 ha. DDFL) requirement.
3. SOI sheet submitted is not in standard scale (1:50,000)
4. Width of the balance area has not been provided in the land schedule.
5. Benefit cost analysis provided is not in prescribed format.
6. FRA 2006 certificate is not in prescribed format.
7. Undertaking/NOC of competent authority about ownership of land has not been given.
8. The details of Employment Generation filled in part-I of proposal is not proper.
9. Legal Status of proposed forest land is not mentioned in site inspection report of DCF.

उपरोक्त सूचना की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

भवदीय,

[Signature] 15.9.17

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित—

1. शासन सचिव (वन), सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, नागौर, राजस्थान।
3. परियोजना निदेशक- II, पी०पी०पी० डिवीजन, लोक निर्माण विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

[Signature] 15.9.17

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक(के.)